

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/172/2017

प्रवेश तिथि
11-10-2017

निर्णय दिनांक
06-02-2020

01- श्रीमति विमलादेवी पत्नी श्री कंवरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बसई जगता तहसील
किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।

-अपीलांत

बनाम

01- उप-तहसीलदार खैरथल, जिला अलवर

-रैस्पौ0

अपील विरुद्ध निर्णय उप-तहसीलदार खैरथल
दिनांक 22.09.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व
अधिनियम प्रकरण संख्या 06/2017

उपस्थित:-

01-श्री आशीष मालानी

-वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-

अपीलांत ने यह अपील उप-तहसीलदार खैरथल के आदेश दिनांक 22.09.2017 जिसके द्वारा अपीलांत को ग्राम बसई जगता की सरकारी गै0मु0बेहड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 875 रकबा 3.53 है0 में से 0.40 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांत्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ज सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बसई जगता की सरकारी गै0मु0बेहड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 875 रकबा 3.53 है0 में से 0.40 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 18.08.2017 को अपीलांत को अतिक्रमी मानकर बिना सुने दो माह की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलांत को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांत को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांत को सजा व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांत द्वारा दिनांक 11.10.2017 को विवादित आराजी पर कब्जा हटाना बताया है तथा रिपोर्ट उप-तहसीलदार खैरथल द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 24.04.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांत का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलांत को सजा के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06-02-2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)